

बैंक का नाम _____

पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए भारत सरकार की ब्याज समतुल्यीकरण योजनाको समाप्त माह के लिए दावा	
सेक्टर	ब्याज समतुल्यीकरण के लिए दावाकृत राशि (निकटतम रुपए में पूर्णांकित)
1.	प्रसंस्कृत कृषि/खाद्य पदार्थ
2.	हस्तकला
3.	हस्तनिर्मित कालीन (सिल्क को छोड़कर)
4.	हथकरघा उत्पाद
5.	कॉयर और कॉयर विनिर्मित वस्तुएं
6.	कच्चा जूट, यार्न
7.	अन्य जूट उत्पाद
8.	रेडीमेड कपडे और मेडअप
9.	सभी प्रकार के कपडे
10.	खिलौने
11.	खेल सामग्री
12.	कागज, स्टेशनरी
13.	सौंदर्य प्रसाधन और टॉयलेटरीज़
14.	चमड़े का सामान और जूते
15.	चीनी मिट्टी की वस्तुएं और संबद्ध उत्पाद
16.	कांच और कांच के बनी वस्तुएं
17.	चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण

18.	ऑप्टिकल फ्रेम, लेंस, धूप के चश्मे आदि	
19.	ऑटो अवयव / पार्ट्स	
20.	साइकिल और पार्ट्स	
21.	लोहे या स्टील की वस्तुएं	
22.	बेस धातुओं की विविध वस्तुएं	
23.	औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल तथा इंजीनियरिंग सामान, 1 सी इंजन, मशीन टूल्स, पार्ट्स	
24.	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण	
25.	दूरसंचार उपकरण	
26.	उपर्युक्त को छोड़कर एमएसएमई द्वारा विनिर्मित सभी वस्तुएं	
	कुल योग	

हम यह प्रमाणित करते हैं कि पात्र निर्यातकों के उपर्युक्त ऋणों पर उक्त माह के दौरान लगाई गई ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक के 4 दिसम्बर 2015 के परिपत्र सं. बैविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 62/ 04.02.001/ 2015-16 में दर्शाए गए अनुसार थी।

(बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर)

दिनांक: